221

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

कल्याणी पुत्री श्री मोतीलाल माली
निवासी – नागदा तहसील व
जिला – श्योपुर (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1– कल्याण पुत्र श्री मोतीलाल माली
2– मंशाराम पुत्र श्री मोतीलाल माली
निवासी – ग्राम मेवाडा तहसील
व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3– द्वारिका पुत्री श्री मोतीलाल माली
निवासी–ग्राम बडौदा तहसील बडौदा
जिला – श्योपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, ग्राम मेवाडा की भूमि सर्वे क्रमांक 1285 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा, सर्वे क्रमांक 1293 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा, सर्वे क्रमांक 1294/1 रकवा 1 बीघा, सर्वे क्रमांक 1314, 1315/2, 1316 शामिल रकवा 2 बीघा 13 विस्वा, सर्वे क्रमांक 1318/3 रकवा 3 बीघा, कुल रकवा 15 बीघा 11 विस्वा, सर्वे क्रमांक 1504/1 रकवा 8 बीघा, सर्वे क्रमांक 1504/2 रकवा 3 बीघा, कुल रकवा 11 बीघा 4 विस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में खसरा पंचशाला में खसरा सम्बत 2067 तक माधौ तथा उभयपक्ष के मध्य 1/2 हिस्से पर अंकित थी। उक्त भूमि में से आधी भूमि 13 बीघा 7 विस्वा माधौ के हिस्से की थी। माधौ फौत हो गया है, इसलिए माधौ की भूमि पर क्रल्याण नामान्तरण की पात्रता रखता है क्योंकि माधौ ने कल्याण को गोद लिया था और कल्याण द्वारा माधौ की देखभाल की है। इसलिए माधौ के स्थान पर उसका नामान्तरण किया जाये। उक्त आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.3658-एक/2016 जिला श्योपुर

कल्याणी विरूद्ध कल्याण एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/2011-**12**/अपील में पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	